

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
खाद्य / अखाद्य सामग्री

नियम एवं शर्तें

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया की ओर से दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक के लिये राजभवन में संलग्न सूची के अनुसार खाद्य एवं अखाद्य सामग्री के लिए एतदद्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड एवं फाईनेशियल बिड अलग-अलग अंकित करना होगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही फाईनेशियल बिड खोली जायेगी : -

- (अ) ई-निविदा प्रपत्र मूल्य/धरोहर धनराशि का डी०डी०/बैकर्स चेक स्टोर, राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०, गेट नं० ९, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ में दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को पूर्वाहन 11.00 बजे तक जमा किया जायेगा तथा निविदा समिति द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को पूर्वाहन 11.30 बजे निविदा खोली जायेगी।
(ब) निविदादाता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि ही ई-टेण्डर खोलने के समय उपस्थित रह सकता है।
(स) निविदा फार्म का मूल्य निविदा के साथ विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में अनुसूचित बैंक का रु० 1500.00 (रुपया एक हजार पाँच सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में मूलरूप में दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को पूर्वाहन 11.00 बजे से पूर्व जमा करना होगा एवं छायाप्रति अपलोड करनी होगी। निविदा प्रपत्र के मूल्य पर जीएसटी का भुगतान संबंधित फर्म को स्वयं जमा करना होगा तथा छायाप्रति की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त डी०डी०/बैकर्स चेक संलग्न न होने की स्थिति में ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा हेतु डी०डी०/बैकर्स चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करना आवश्यक है अन्यथा तकनीकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(द) निविदादाताओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी : -

1- आयकर एवं जीएसटी का पंजीकरण होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। विगत दो वर्ष के आयकर विवरणों की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक है।

2- टेलीफोन सुविधा के साथ राजभवन के निकटतम स्थान पर आपूर्ति स्थल (कार्यालय/प्रतिष्ठान) होने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। निविदादाता को अपने निवास/दुकान का पूर्ण पता तथा टेलीफोन/मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य होगा।

3- आपूर्ति हेतु माँगी जाने वाली वस्तु 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध होनी चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता राजभवन की परम्परा के अनुरूप उच्चकोटि की होनी चाहिए।

4- निविदादाताओं के ई-टेण्डर फार्म में अंकित समस्त सामग्री का शील्ड नमूना फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5- अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

6- निविदा के साथ विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में अनुसूचित बैंक का रु० 10,500.00 (रुपया दस हजार पाँच सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को पूर्वाहन 11.00 बजे से पूर्व जमा करना होगा। जिस निविदादाता की निविदा अस्वीकृत की जायेगी, उनके द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट ई-निविदा खोलने की तिथि के एक माह के पश्चात उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर वापस कर दिया जायेगा। उपर्युक्त डी०डी०/बैकर्स चेक संलग्न न होने की स्थिति में ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा हेतु डी०डी०/बैकर्स चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करना आवश्यक है अन्यथा तकनीकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

7- सफल निविदादाता को अनुबन्ध के समय जमानत धनराशि रु० 50,000.00 (रुपया पचास हजार) मात्र का एफ०डी०आर० या डिमान्ड ड्राफ्ट जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 के लिये हो, अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में बन्धक करके जमा करना होगा।

8- ई-निविदा देने वाले को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करना होगा कि उनका कोई निकट सम्बन्धी राजभवन या राज्यपाल सचिवालय की सेवा में नहीं है। यदि हैं तो उसका नाम एवं पदनाम अंकित करना होगा।

9- किसी भी प्रकार की सूचना असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

10- ई-निविदा के संबंध में समर्थन कराने का कड़ा निषेध है, ऐसे निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

- 11— ई—निविदा माँगे जाने की सूचना निविदा स्वीकार कर लिये जाने पर अनुबन्ध का एक भाग हो जायेगी।
- 12— ई—निविदा में अंकित दरें राजभवन/राज्यपाल सचिवालय में माल की डिलीवरी तक की होगी। अलग से कोई पैकिंग/भाड़ा इत्यादि देय न होगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि संलग्न सूची में उल्लिखित समस्त सामग्री पर दी जाने वाली छूट प्रतिशत का उल्लेख करना नितान्त आवश्यक है। केवल कुछ सामग्री हेतु छूट प्रतिशत की दरों का उल्लेख करना मान्य नहीं होगा। अधिकतम सामग्री पर अधिकतम छूट देने वाले निविदादाता को अन्य सामग्री जो दूसरे निविदादाता द्वारा अधिकतम छूट पर सामग्री देने का उल्लेख किया गया है, की दर पर ही छूट प्रतिशत पर सामग्री उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन देना होगा।
- 13— राजभवन की आवश्यकतानुसार संलग्न सूची के अलावा अन्य सामग्री भी न्यूनतम दर (बाजार दर) पर उच्चकोटि का उपलब्ध करना आवश्यक होगा।
- 14— पैकेट वस्तुओं के समक्ष अंकित दरों पर छूट का प्रतिशत भी अंकित करना होगा। खुली/फुटकर सामग्रियों की दर प्रति सामग्री की दर से अंकित करना होगा।
- 15— कम्पनी द्वारा प्रायोजित स्कीम को उपलब्ध कराने के साथ बिल पर विवरण देना भी अनिवार्य होगा।
- 16— विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर अलग से देय नहीं होगा।
- 17— ई—निविदा को स्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ को होगा।
- 18— डिब्बा बन्द सामग्री की दरों का उल्लेख करते समय वजन का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
- 19— स्वीकृत दरें दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक लागू होंगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा इन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन टेण्डर की अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी भी जा सकती है।
- 20— किसी भी प्रकार की सामग्री की आपूर्ति गुणवत्ता अथवा दिये गये मानक के अनुसार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अधिष्ठान सामान की आपूर्ति खुले बाजार से क्य करने के लिए स्वतंत्र होगा, साथ ही अन्तर की धनराशि का समायोजन स्वीकृत निविदादाता के बीजक से कर लिया जायेगा।
- 21— ई—निविदा की विशेष शर्तें एवं अन्य विवरण राजभवन की वेब साइट www.upgovernor.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
- 22— ई—निविदा खोलने की तिथि को यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- 23— निविदादाताओं एवं नीलामी समिति के मध्य विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 24— निविदादाताओं एवं राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के मध्य कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद लखनऊ (उ0प्र0) होगा।
- 25— निविदादाताओं के निविदा फार्म एवं निविदा धनराशि जमा करने पर यह माना जायेगा कि उसे उपरोक्त सभी शर्तें एवं नियम स्वीकार हैं।

(बद्री नाथ सिंह)
विशेष सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

राज्यपाल सचिवालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

क्रमांक :
फार्म की दर रु० 1500.00 +
18 प्रतिशत जीएसटी
(जीएसटी स्वयं जमा करें)

(बद्री नाथ सिंह)
विशेष सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड़)

फर्म का पूरा नाम : _____

मालिक / मालिकों का नाम (एक से अधिक होने की दशा में) : _____

पूरा स्थानीय पता : _____

दूरभाष नं० (आवास) _____ (दुकान) _____ (मो० नं०) _____

ई-मेल आईडी० _____

पैन नं० _____

जी०एस०टी० नं० _____

फर्म का पिछले दो वर्ष के आयकर दाखिल करने का प्रमाण पत्र _____

बैंकर्स का नाम _____

बैनीफिशियरी (बैंक का विवरण) _____

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क के डी०डी० / बैंकर्स चेक संख्या _____ दिनांक _____

धनराशि _____ अदाकर्ता बैंक / शाखा का नाम _____

ई-निविदा धरोहर धनराशि डी०डी० / बैंकर्स चेक संख्या _____ दिनांक _____

धनराशि _____ अदाकर्ता बैंक / शाखा का नाम _____

संलग्नकों की कुल संख्या : _____

संलग्नक : निविदा नियम एवं शर्तें।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक _____ आवेदक का पूरा नाम व पता _____

नोट : - कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमों/शर्तों को भली भाँति पढ़ लें।